

## राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन आवश्यक / फैक्स

संख्या 4321 / रा०नि०आ० अनु०-२ / ७८० / २००७ देहरादून दिनांक १३ फरवरी, २००९

### अधिसूचना

पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-633/XII/08/ 86(04)/2008 टी०सी०-१ दिनांक 25 जुलाई 2008 के क्रम में आयोग की अधिसूचना संख्या-747/रा०नि०आ० अनु०-२ / ७८० / २००७ दिनांक 26 जुलाई 2008 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं उनके प्रधानों के पदों/स्थानों के लिए सामान्य निर्वाचन 2008 करवाया गया। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-778/XII(1)/08/86(04)/2008 टी०सी०-१ दिनांक 19 सितम्बर 2008 के क्रम में आयोग की अधिसूचना संख्या 1794/रा०नि०आ० अनु०-२ / ७८० / २००७ दिनांक 20 सितम्बर 2008 द्वारा रिक्त रह गये प्रधान ग्राम पंचायत के पदों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के स्थानों का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया। उक्त निर्वाचनों के पश्चात भी विभिन्न जनपदों के कतिपय प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के पद/स्थान रिक्त रह गये जिन पर निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-108/XII/08/86(27)/2007 दिनांक 12 फरवरी, 2009 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 के उपरान्त कतिपय प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त रह गये पदों/स्थानों पर निर्वाचन कराये जाने हैं। अतः मैं बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त प्रधान ग्राम पंचायत के पदों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के स्थानों का निर्वाचन निम्नानुसार विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जायेंगे:-

नामांकन की तिथि व समय	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
25 फरवरी 2009 (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्ण 17:00 बजे तक)	26 फरवरी 2009 (प्रातः 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	27 फरवरी 2009 (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्ण 14:00 बजे तक)	27 फरवरी 2009 (अपराह्ण 15:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	05 मार्च 2009 (प्रातः 07:00 बजे से अपराह्ण 17:00 बजे तक)	08 मार्च 2009 (प्रातः 08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के उक्त रिक्त पदों/स्थानों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 16 फरवरी, 2009 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिये भेजेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

इन निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय (विकासखण्ड) पर होगा और वहीं पर मतों की गणना की जायेगी तथा चुनाव परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किये जायेंगे।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमश.....2

संख्या 4321(1)/राजनि०आ०अनु०-२/७८०/२००७ तद॒दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को आयोग के पूर्व पत्र स0 1627 दिनांक 4.9.2008 के क्रम में सूचनार्थ ।
8. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
15. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
18. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
19. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
20. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
22. निजी सचिव, पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
23. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
24. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
25. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।